अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर 2002

का.आ. 1120(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 11 फरवरी, की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 96(अ0)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने करूणा सेतु ट्रस्ट, वादनगर-384355, गुजरात द्वारा वादनगर, जिला मेहसाणा, गुजरात में अस्पताल चलाने, उपकरणें को खरीदने और कल्याणकारी गतिविधियों को चलाने की योजना को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 5 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिस बाद में दिनांक 10 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं029(अ0)द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों के लिए आगे और बढ़ा दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ,

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को और आगे की तीन वर्ष की अवधि के लिए तथा परियोजना की लागत को 67.48 लाख रूपए तीस लाख रूपए की कार्पस निधि सहित से संशोधित करके 142.03 लाख रूपए(50.00 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित) विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है,

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) करूणा सेतु ट्रस्ट, वादनगर-384355, गुजरात द्वारा वादनगर, जिला मेहसाणा, गुजरात में अस्पताल चलाने, उपकरणें को खरीदने और कल्याणकारी गतिविधियों को चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है; और

(ख) दिनांक 11 फरवरी, 1999 की कथित अधिसूचना सं0 सां0 आ0 96(अ0) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं नामतः

कथित अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 5 के कालम नं0 (4) जो अनुज्ञात की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित है में अक्षरों, आंकड़ों तथा शब्दों " 67.48 लाख रू0" (50.00 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित)के स्थान पर " 142.0 3लाख रू0" (50.00 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित) अक्षर, आंकड़ें तथा शब्दों में प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 318-2002/फा. सं. एन.सी.-90/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)